न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम सन्त कबीर नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1298/2026

CNR NO–UPSK01–003271–2026

विपिन कुमार राय उर्फ विपिन राय पुत्र स्व० ओमकार राय निवासी ग्राम सिरसी थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर।

........आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

.... विपक्षी

सत्र वाद सं०–508/2026
मु०अ०सं०–182/2022
धारा–135 भा०वि०अधिनियम
थाना–एंटी पावर थेफ्ट,
जिला–संत कबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्रः–

आवेदक/अभियुक्त **विपिन कुमार राय उर्फ विपिन राय** द्वारा सत्र वाद सं०–508/2026 मु०अ०सं०–182/2022 धारा–135 भा०वि०अधि० थाना एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–सन्त कबीर नगर में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने किसी प्रकार की विद्युत चोरी नहीं किया है। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान पैनल अधिवक्ता उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान पैनल अधिवक्ता उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक अवलोक्त किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के ऊपर धारा–135 विद्युत अधिनियम का अभियोग है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर टिप्पणी किये बगैर आवेदक/अभियुक्त **विपिन कुमार राय उर्फ विपिन राय** को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विपिन कुमार राय उर्फ विपिन राय** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त **विपिन कुमार राय उर्फ विपिन राय** द्वारा उक्त मामले में **25 हजार रूपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के **एक** सक्षम प्रतिभू दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त, मामले के विचारण में सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, अभियोजन साक्षियों को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त, अनावश्यक रूप से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–10.08.2026

(गजेन्द्र)
(J.O. Code–UP6291)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by Gajendra
Date: 2026.08.10 16:31:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court